

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/सरकार द्वारा भरा जायेगा)
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 20----/---- के लिये
प्रारूप भाग-1

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/सरकार) का नाम.....पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह (जन्म तिथि.....)
2. निवास स्थान का पर्ण पता
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (50 हजार रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति के लिये)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर.....(जो सपष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भासाशाह नम्बर.....(जो सपष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले का मोबाइल नम्बर.....(जो सपष्ट अंकित हो)
7. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण :-(सम्बधित पर चिन्हित करें राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)

1. कृषि भूमि (.....) आदि से आय रु. :-	2. वृत्ति. सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय रु.:-
3. वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय रु.:-	4. मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार व्यवसाय या व्याज लाभांश से आय रु.:-
5. अन्य स्त्रोतों से आय रु. :-	कुल वार्षिक आय रु.:-

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आय की घोषणा करने वाले का नाम.....
मय विद्यार्थी से सम्बद्ध.....

प्रारूप भाग-2

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थीयाँ.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....जाति.....को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्त की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थीया के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

1. हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति

(पद नाम मय दिनांक एवं मो.न.)

नोट:—(उत्तरदायी व्यक्ति यथा—संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पंच/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंसा करवाए।)

प्रारूप भाग-3 (शपथ-पत्र)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उदघोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एंव मेरे पति/पत्नी की (जो भी लागू) समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रु.....अखरे रु.....है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिया गया है जो सही है। इसमें कोई तथ्य न ही छुपाया गया है न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ-पत्र में अंकित तथ्य एंव शपथ पूर्वक उदघोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़—मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादी भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200, एंव 420 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 बर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एंव नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-4 (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)पिता/पति का नाम.....आयु.....निवासी.....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है जिसे प्रमाणीकृत की पहचानद्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

का नाम मय पद एंव सील(कार्यापालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिशनर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर)